न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 233 / 2024

अनवान : –

1. नवीन कुमार डूडी पुत्र रामेश्वर लाल बूडी जाति जाट साकिन 86 बी कोणरी मार्ग रागदेव मदिंर के सामने वाली गली सुजानगढ़ जिला चुरू (राज.)।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कमला पत्नी हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
2. महेन्द्र पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
3. रणजीत पुत्र हंसराम जाति जाट साकिन ललानिया तहसील नोहर
4. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा नोहर तहसील नोहर
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
7. उप पंजियक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. सोना देवी पत्नी रामेश्वर लाल डूडी जाति जाट साकिन सूर्यभवन मंदिर के पास नोहर तहसील नोहर
9. रवि पुत्र रामेश्वर लाल डूडी जाति जाट साकिन सूर्यभवन मंदिर के पास नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल ग्रुप कैपट एयरपोंस स्टेशन आगरा।
10. इन्दु पुत्री रामेश्वर लाल डूडी पत्नी योगेश जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल 373 / 374 ऑफिस कैम्पस सिरसी रोड़ खातीपुरा जयपुर
11. रेणु पुत्री रामेश्वर लाल डूडी पत्नी रामनिवास जाति जाट साकिन 26 Panorama Hills Grove Nw CALGARY, AB, T3K 4N3 कनाडा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 18/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 13 की 32–10 बिघा 65 की 96 बिघा 91 की 97–14 बिघा कुल 228–04 बिघा भूमि में 1 / 2 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 55 की 34–03 बिघा 100 की 18–06 बिघा कुल 52–09 बिघा एवं रोही मौजा लखासर तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 81 की 36–15 बिघा भूमि का रावता पु[illegible] ललानिया तहसील नोहर खातेदार काश्तकार था जिसके 6 लड़के थे जिन्होने अ[illegible] में विवादित भूमि का अपने पुत्रो में बांहमी बंटवारा कर उप पंजियक [illegible] दिनांक 30–6–1972 को तस्दीक करवा दिया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बंटवारानामा दिनांक 30–6–1972 के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 91 की 25–00 बिघा भूमि सायल के पिता रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम को प्राप्त हुई थी जो बंटवारानामा दिनांक 30–6–1972 के अनुसार उसी दिन साबिका खसरा नम्बर 91 की 25–00 बिघा भूमि का खातेदार कास्तकार हो चुका था। रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 91 मीन की 28–12 बिघा भूमि पैमाइस हाल में हाल खसरा न. 217 की 29–02 बिधा में परिवर्तित हो चुकी है जो अब रून. 217 की 7.3620 हैक्टेयर में परिवर्तित हो चुकी है। बंटवारानामा दिनांक 30–6–1972 के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 91 की 25–00 बिघा भूमि का सायल का पिता रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम दिनांक 30–6–1972 को खातेदार कास्तकार हो चुका था लेकिन सायल के दादा रावताराम ने

साजिसाना कार्यवाही कर दिनांक 2–6–1987 को अपने लड़के हंसराम पुत्र रावताराम को ख.न. 217 की 21 बिघा भूमि की वसीयत करवा दी जो सायल एवं गैरसायल न. 8 ता 11 के हकूक के मुकाबले शुन्य एवं प्रभावहीन है मुताबिक वसीयत भूमि हंसराम पुत्र रावताराम के नाम दर्ज हो चुकी है एवं हंसराम पुत्र रावताराम फोत हो गया जिसके जायज वारीस गैरसायल न. 1 ता 3 है जिनके नाम विवादित भूमि दर्ज है लेकिन विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नही है। बंटवारानामा दिनांक 30–6–1972 के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नम्बर 91 की 25–00 बिघा भूमि का सायल का पिता रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम दिनांक 30–6–1972 को खातेदार कास्तकार हो चुका था लेकिन शुन्य वसीयत दिनांक 2–6–1987 के आधार पर विवादित भूमि ख.न. 217 की 21 बिघा कुल 7.3620 हैक्टेयर भूमि गैरसायल न. 1 ता 3 के नाम दर्ज है जबकि 25 बिघा भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है विवादित 25 बिघा भूमि सायल के पिता रामेश्वरलाल पुत्र रावताराम को दिनांक 30–6–1972 के बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त हो चुकी थी सायल का पिता कुछ समय पूर्व फोत हो गया था जिसके जायज वारीस सायल एवं गैरसायल न. 8 ता 11 हैं लेकिन विवादित भूमि नाम दर्ज नहीं होने के कारण सायल एव गैरसायल न. 8 ता 11 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए सायल अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा कर ख.न. 217 की 25 बिघा भूमि प्रतिवादी न. 1 ता 3 के नाम से कलमजन करा अपने व गैरसायल न. 8 ता 11 के नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

गैरसायल न. 1 ता 3 अपने नाम हक से ज्यादा भुमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुंतकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि गैरसायल न. 1 ता 3 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो सायल को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए सायल, गैरसायल न. 1 ता 3 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] गया। रोही मौजा ललानिया के ख0न0 217 की 7.3620 हैक्ट भूमि अंतरिम [illegible] इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की [illegible]स्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि रावताराम पुत्र लिच्छुराम की स्वयं अर्जित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि है। रावताराम के देहान्त के बाद यह भूमि रावताराम के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। रावताराम ने अपने स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 17.05.1985 को अपने पुत्र हंसराज के पक्ष में करवाई थी। उक्त वसीयत सायल के पिता की सहमति के आधार पर की गई थी बंटवारा दिनांक 30.06.1972 के मुताबिक ख0न0 91 की भूमि मनफुल, हंसराम व रामेश्वर पुत्रगण प्रत्येक के नाम 25 बीघा भूमि दर्ज करवाई थी। रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खन. 91 की 28. 12 बीघा भूमि पैमाईश हाल ख.न. 217 की 29रू02 बीघा भूमि में परिवर्तित हो चुकी है एवं माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व वाद नोहर मे बअनवानी दुलाराम आदि बनाम श्योकरण आदि पेश हुआ एवं जिसमें सायल के पिता रामेश्वरलाल जी ने राजीनामा पेश किया एवं अपना नाम रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के ख.न. 217 की 292 बीघा भूमि में नाम कलमजन करवा लिया रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के ख.न. 91 की 25 बीघा भूमि वसीयमनामा दिनांक 02/06/1987 को रातवाराम पुत्र लिघुराम ने अपने पुत्र हसराम पुत्र रावताराम के पक्ष में करवाई थी एवं सायल के पिता जो कि नोहर में प्रतिस्थित वकील थे। तथा उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 20/06/1986 को को इकरारनामा (सहमति) तहरीर करवा दिया था कि गई वसीयतनामा से सहमति दी गई है एवं जब सायल के पिता ने वसीयत में सहमति दी गई तो वसीयतनामा का शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने का सायल का कथन किया है। वसीयत कर्ता रावताराम पुत्र लिधुरामने किसी भी वारिस को वंचित नही किया एवं उनके किसी भी वारिसान ने कभी वसीयतनामा के बारे में एतराज नहीं किया। उनके पुत्रो एंव पुत्रीयों ने कभी भी कोई एतराज नही रहा है ऐसी स्थिति में सायन द्वारा अपने बालिग होने के बाद 30 वर्ष बाद बिना किसी अधिकार के दावा प्रस्तुत किया है एवं सायल के पिता को दावा/दरख्वास्त लाने का काई अधिकार नहीं है तो सायल को दावा/दरख्वास्त लाने का अपने पिता से पहले अधिकार नहीं है। सायल के पिता रामेश्वरलाल जी नोहर के बहुत ही अच्छे और प्रतिस्ठित व्यक्ति थे तथा वे माननीय सिविल न्यायालय नोहर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर में वकालत करते थे एवं वसीयत कर्ता रावताराम पुत्र लिघुराम की वसीयत का सायल के पिता को ज्ञान था। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि साबिका ख0न0 91 की 25 बीघा भूमि 30.06.1972 के बंटवारा के मुताबिक सायल के पिता के नाम दर्ज होनी [illegible] गैरसायलान स0 1 ता 3 के पिता ने साबिका ख0न0 91 हाल ख0न0 217 की 2[illegible] बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 02.06.1987 को अपने पक्ष में करवा ली उक्त वसीयत सायल [illegible] हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है। अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में की गई वसीयत को सायल एवं सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

के पिता को भलीभांती ज्ञान था प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करीबन 40 वर्ष बाद पेश किया गया है

पत्रावली में प्रस्तुत चित्रप्रति वसीयत दिनांक 02.06.1987 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रावताराम द्वारा अपने पुत्र हंसराम के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी उक्त वसीयत पंजीकृत है। सायल द्वारा करीबन 38 वर्ष बाद वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया गया है सायल के पिता द्वारा उक्त वसीयत बाबत अपने जीवन काल में कोई ऐतराज जाहिर नही किया गया है अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पिता हंसराम के पक्ष में सन 1985 को वसीयत की गई है हंसराम के नाम भूमि जरिये वसीयत दर्ज हुई है एवं हंसराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है तथा सायल द्वारा इतने वर्षो बाद ऐतराज किया गया है जो की न्यायोचित प्रतीत नही होता है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 23.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:40:30 IST
Reason: SelfAttested